न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 72/2022

उनवान

देवाराम पुत्र भूरा
जयप्रकाश पुत्र साधुराम
महेन्द्रपाल पुत्र साधुराम
हनुमानसहाय पुत्र साधुराम
समस्त वयस्क समस्त जाति–बलाई, निवासी ग्राम–कांट, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर।

वादी

बनाम

जयनारायण पुत्र बोदुराम
बनारसी देवी पत्नी बोदूराम
मनोज पुत्र बोदूराम
रामशरण पुत्र बोदूराम
रामेश्वर पुत्र बोदूराम
सुरेश पुत्र बोदूराम
मदनलाल पुत्र किशना
समस्त वयस्क समस्त जाति–बलाई, निवासी ग्राम–कांट, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री टी एम वर्मा एडवोकेट वादी

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक . 4/1/2023

वकील वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट के तहत पेश या गया कि भूमि हाल खाता सं0– 432 के हाल खसरा नम्बर 1761/0.12, 1762/0.12, 34/0.34, 2035/0.69, 2036/0.01, 2037/0.52 कुल किता–6 रकबा 1.80 है0 वाकै ग्राम कांट, वार हल्का कांट, भू0अभि0नि0 क्षेत्र कांट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसकी मान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 संलग्न द पत्र पेश है। वाद पत्र में वर्णित उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से नुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं व आज भी अपने स्से अनुसार काबिज काश्त है वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच में उक्त वर्णित आराजी का कानूनी टवारा नहीं हुआ है किंतु प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 7 के मन में दुर्भावना के चलते वादीगण के ब्जे काश्त में मजाहमत पैदा कर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण अपने अवैध मंसूबे सफल हो गए तथा आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही वादीगण के हिस्से की भूमि पर बरन कब्जा कर लिया तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा। प्रतिवादी 0–8 राजस्थान सरकार भूमिधारी है जो उक्त आराजी बंटवारे के वाद में आवश्यक पक्षकार है इस रण उन्हें जरिए तहसीलदार–शाहपुरा के पक्षकार मुकदमा बनाया गया है आराजी मुतनाजा एवं तिवादीगण का निवास स्थान कार्यालय माननीय न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के ारण प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है ।

अतः वाद पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आराजी हाल खाता संख्या 432 के ाल खसरा नम्बर 1761/0.12, 1762/0.12, 2034/0.34, 2035/0.69, 2036/0.01, 2037/0.52 कुल किता–6 रकबा 1.80 है0 वाकै ग्राम कांट, पटवार हल्का कांट, भू0अभि0नि0 क्षेत्र कांट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0–1 लगा0 7 के मध्य रस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादीगण को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे। प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे एवं आराजी मुतनाजा के

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ष्ट भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। हर्जा–खर्चा वाद एवं अन्य ग्रता बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई। प्रतिवादी 1 उपस्थित आये तथा बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया अन्य प्रतिवादीगण जूद तामिल के उपस्थित नहीं आये । वकील वादी ने दिनांक 21.9.2022 को दावा प्राथमिक डिकी किये हेतु निवेदन किये जाने पर दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात र्ट प्राप्त की गई ।

प्रकरण में दावा प्राथमिक डिकी किये जाने पर तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक अ0/2022/ 4246 दिनांक 17.11.2022 के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई । जिस वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादी ने अपनी बहस में बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही ा जाहिर करते हुए दावा अन्तिम डिकी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया ा । पक्षकारान को सुनवाई का नोटिस जारी किया गया है तथा बंटवारा कुर्रेजात का रिपोर्ट लोकन पर कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की पोर्ट के आधार पर ग्राम कांट तहसील शाहपुरा के ख1761/0.12, 1762/0.12, 2034/0.34, 035/0.69, 2036/0.01, 2037/0.52 कुल किता–6 रकबा 1.80 है0 के खातेदार/पक्षकारान के मध्य म्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

क0सं0	खसरा नम्बर	.रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	2035 1762 2034/2 2037/2 कुल किता 4	0.69है0 0.12 है0 0.05 है0 0.04 है0 कुल 0.90 है0	वादी देवाराम पुत्र भूरा हि0 1/2 रहिन ओबीसी बैक शाहपुरा मुर्तहीन, हनुमान पुत्र साधूराम हि0 1/6 जयप्रकाश पुत्र साधूराम हि0 1/6 , महेन्द्रपाल पुत्र साधूराम हि0 1/6 कौम बलाई सा0 देह खातेदार
2	1761 2034/1 2037/1 2036 कुल किता 4	0.12 है0 0.29 है0 0.48 है0, 0.01 है0 कुल 0.90 है0	प्रतिवादीगण जयनरायण पुत्र बोदूराम हि0 1/12, बनारसी देवी पतिन बोदूराम हि0 1/12, मनोज पुत्र बोदूराम हि0 1/12, रामशरण पुत्र बोदूराम हि0 1/12, रामेश्वर पुत्र बोदूराम हि0 1/12, सुरेश पुत्र बोदूराम हि0 1/12, मदनलाल पुत्र किशना हि0 1/2 जाति बलाई सा0 देह खातेदार

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4/1/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा जिला–जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना , आर ए एस**
वाद संख्या :– **72/2022**

उनवान

देवाराम पुत्र भूरा

जयप्रकाश पुत्र साधुराम

महेन्द्रपाल पुत्र साधुराम

हनुमानसहाय पुत्र साधुराम

समस्त वयस्क समस्त जाति–बलाई, निवासी ग्राम–कांट, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर।

वादी

बनाम

जयनारायण पुत्र बोदुराम

2 बनारसी देवी पत्नी बोदूराम

3 मनोज पुत्र बोदूराम

4 रामशरण पुत्र बोदूराम

5 रामेश्वर पुत्र बोदूराम

6 सुरेश पुत्र बोदूराम

7 मदनलाल पुत्र किशना

समस्त वयस्क समस्त जाति–बलाई, निवासी ग्राम–कांट, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री टी एम वर्मा एडवोकेट वादी**

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक . 4/1/2023

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कांट तहसील शाहपुरा के ख1761/0.12, 1762/0.12, 2034/0.34, 2035/0.69, 2036/0.01, 2037/0.52 कुल किता–6 रकबा 1.80 है0 के खातेदार/पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

क0सं0	खसरा नम्बर	.रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	2035 1762 2034/2 2037/2 कुल किता 4	0.69है0 0.12 है0 0.05 है0 0.04 है0 कुल 0.90 है0	वादी देवाराम पुत्र भूरा हि0 1/2 रहिन ओबीसी बैक शाहपुरा मुर्तहीन, हनुमान पुत्र साधूराम हि0 1/6 जयप्रकाश पुत्र साधूराम हि0 1/6 , महेन्द्रपाल पुत्र साधूराम हि0 1/6 कौम बलाई सा0 देह खातेदार
2	1761 2034/1 2037/1 2036 कुल किता 4	0.12 है0 0.29 है0 0.48 है0, 0.01 है0 कुल 0.90 है0	प्रतिवादीगण जयनरायण पुत्र बोदूराम हि0 1/12, बनारसी देवी पतिन बोदूराम हि0 1/12, मनोज पुत्र बोदूराम हि0 1/12, रामशरण पुत्र बोदूराम हि0 1/12, रामेश्वर पुत्र बोदूराम हि0 1/12, सुरेश पुत्र बोदूराम हि0 1/12, मदनलाल पुत्र किशना हि0 1/2 जाति बलाई सा0 देह खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

करण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई षधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत । नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा र्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में मीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।
ज तारीख ......4/1/23...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जिला जयपुर)

द के खर्चे

दी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस . साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय . कमिश्नर की फीस . आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ोड़		जोड़	